






न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
सुन० 106/16	तारीख रजु 16-9-16 उनवान - रामसिंह बनाम श्रीशचन्द्र कौ० देवलेन दावाबाबत रथाई निषेधाज्ञा वादी की ओर से देवेन्दु कुमार शर्मा Adv. ने दावाबाबत रथाई निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र व जमाबन्दी का खर्चोफन किया गया। दावा दर्ज रोजेस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब कर दिनांक 5-10-16 को पेश हो।  उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)
5-10-16	वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से श्री रामप्रोसी गुप्ता Adv. ने ककालनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3 का सम्मन निषिधत तामील नहीं हुई। वादी वकील प्रतिवादी नं. 3 का पुनः सम्मन तलवाना पेश करे। वकील प्रतिवादी जबर पेश करे। तलवी व जबर दिनांक 9-11-16 को पेश हो। 
9-11-16	वकूलाय उप०। गतानुसार तलवी व जबर दिनांक 6-12-16 को पेश हो। 
6-12-16	वकूलाय उप०। गतानुसार दिनांक 12-11-17 को पेश हो। 

2693-5
16-9-16

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
12-1-17	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं। कर्टीव आवाज दिलाई कि भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है। इतः दाया वादीगण अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के लाल शुभार होकर नम्बर से कम होकर दारिदल दफता है।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (फरौली) </p>